न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

धारा 16(3) अन्तर्गत एरिया सीलिंग अपीलवाद संख्या–125/2018

श्रीमती मंटुन देवी –बनाम– पुष्पेष कुमार, डी0सी0एल0आर0 सदर दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/9/2019	**आदेश** प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के एरिया सीलिंग वाद सं0–01/2017–18 (वीणा देवी उर्फ मीना देवी बनाम मंटुन देवी) में दिनांक 17.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्रीमती मंटुन देवी द्वारा दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करने तथा निम्न् न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में निम्न् न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम–1962 की धारा 16(3) को विधि विभाग की अधिसूचना सं0–एल0जी0–01–15/2018/1569/लेज दिनांक 25.02.19 के माध्यम से तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त एवं संशोधित करते हुए अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित कर दिये जाने का निदेश प्राप्त है। अतः उपरोक्त विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्यर्थी संख्या–2 के अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित करते हुए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। प्रत्यर्थी सं0–2 वीणा देवी उर्फ मीना देवी प्रस्तुत वाद के उपशमित होने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। **लेखापित एवं संशोधित।** समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	

D:\2019\General Court Order\Mantun Devi 125_2018_16(iii).doc